न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.14 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 20)	30.01.2024	09.06.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

गोविन्दलाल, रामदेव पि0 भवाना, जमनाबाई पुत्री भवाना जाति रेगर
निवासी ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया, तहसील के.पाटन
हाल तहसील रायथल, जिला बूंदी (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पिता भवाना को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 79/1 रकबा 10 बीघा वाकेग्राम गेण्डोली खुर्द आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

आवंटित भूमि वर्तमान में तहसील रायथल के अन्तर्गत स्थित होने से अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 14/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/20 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना नियत पेशी पर उपस्थित न्यायालय नहीं आने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी एवं वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी एवं वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि भवाना आ. रूपा जाति रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को दिनांक 10.11.1975 को भूमि ख.सं. 79/1 रकबा 10 बीघा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया की नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि ख.सं. 97,101,237,239,244,245 किता 6 कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं भूमि पड़त पडी हुई होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी भवाना आ. रूपा जाति रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 79/1 रकबा 10 बीघा (हाल ख.सं. 97, 101, 237, 239, 244, 245 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर) वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया दिनांक 10.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

16.06.2025